



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

\*\*\*\*\*

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के लिए कार्यक्रम निगरानी इकाई  
(पीएमयू)**

**पृष्ठभूमि**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेएंडई) लाभवंचितों तथा असुरक्षित समूह के विकास एवं कल्याण के लिए कार्यक्रमों/स्कीमों की समग्र नीति, योजनाकरण तथा समन्वय हेतु एक भारत सरकार का नोडल विभाग है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत, विभिन्न केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों/अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से डिजाइनकृत तथा कार्यान्वित बहुत सी स्कीमों हैं जिनकी समय-समय पर निगरानी तथा मूल्यांकन करने की जरूरत होती है।

यह विभाग अपने कार्यक्रमों तथा स्कीमों के माध्यम से एक समावेशी समाज का निर्माण करने का प्रयास करता है जिसमें लक्ष्य समूह के सदस्यों को उनके विकास तथा प्रगति के लिए पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का अधिदेश समाज के सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से लाभवंचित वर्गों का सशक्तिकरण करना है जिनमें (i) अनुसूचित जातियां, (ii) अन्य पिछड़े वर्ग, (iii) वरिष्ठ नागरिक, (iv) मद्यपान तथा नशीले पदार्थ के दुरुपयोग के पीड़ित, (v) ट्रांसजेण्डर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, (vi) भिखारी, (vii) विमुक्त तथा घुमन्तू जनजातियां (डीएनटी), (viii) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) तथा (ix) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) शामिल हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राष्ट्रीय स्तर पर विधान, नीति तथा दिशा-निर्देशों के विकास/अद्यतन के कार्य करता है ताकि विभाग के उद्देश्यों का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके तथा साथ ही यह विभाग विभिन्न मौजूदा कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है।

## **पात्रता**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय स्कीमों तथा कार्यक्रमों की निगरानी हेतु एनआईआरएफ 2021 रैंकिंग के अंतर्गत एमएचआरडी द्वारा प्रदत्त रैंक वाले देश के शीर्ष 400 संस्थानों (200 महाविद्यालय एवं 200 विश्वविद्यालय) से सामाजिक कार्य में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि धारित करने वाले 28 वर्ष से कम आयु के युवा पेशेवरों को संविदा आधार पर 2 वर्ष के कार्यकाल हेतु पीएमयू के पद (राज्य समन्वयक) हेतु आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

**ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की समय-सीमा : 2 अप्रैल, 2022 से 30 अप्रैल, 2022 मध्य रात्रि 11:59 बजे तक।**

**नौकरी विवरण :** पीएमयू (राज्य समन्वय) का अधिदेश फील्ड में जाना तथा संचालित की जा रही स्कीमों के तौर-तरीके के बारे में मंत्रालय को फीडबैक उपलब्ध कराना है ताकि प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके और यदि जरूरत हो, मध्य रास्ते यथोचित सुधार किया जा सके।

**पदों की संख्या :** 24 पद

**नौकरी स्थल :** नई दिल्ली

पीएमयू राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, नई दिल्ली में स्थापित किए जाएंगे तथा इनके राज्यों में व्यापक यात्राएं करने की संभावना है।

**अर्हताएं :**

- सामाजिक कार्य में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर (केवल अंतिम वर्ष पास) होना चाहिए।
- सामाजिक रूप से संगत कार्य में अनुभव होना चाहिए परन्तु यह अनुसंधान, नीति विश्लेषण, परियोजना प्रबंधन, एनजीओ प्रबंधन तक सीमित नहीं होना चाहिए।
- कंप्यूटर के इस्तेमाल में प्रवीणता, मजबूत प्रस्तुतीकरण तथा संचार (लिखित एवं मौखिक) कौशल आवश्यक हैं।

**आयु सीमा :** आवेदक की आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (आयु की कट-ऑफ तारीख ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख होगी)।

**वेतन :** 75,000/- रुपए प्रति माह का समेकित वेतन।

**जिम्मेदारियां :**

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत नामजद विभाग/राज्य/क्षेत्र में परियोजना कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण।
- यह सुनिश्चित करना कि सौंपे गए कार्य बेहतर ढंग से सम्पूर्ण हों, अपेक्षित तकनीकी तथा प्रबंधन गुणवत्ता मानक पूर्णतः अपनाए गए हों, तथा इनकी समयबद्ध सुपुर्दगी हो।
- यह सुनिश्चित करना कि परियोजना सहभागिता करार के अनुसार तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के मानक संचालन प्रोटोकॉल के अनुरूप कार्यान्वित हो।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि परियोजना की निगरानी के लिए आवश्यक सूचना, रिकार्ड तथा दस्तावेज रखे जाते हों तथा हर वक्त जांच हेतु उपलब्ध हों।
- प्रत्येक माह में कम से 15-20 दिन के लिए कार्यक्रम के आयोजन तथा मूल्यांकन हेतु राज्यों/जिलों का दौरा करना।
- यह सुनिश्चित करना कि संबद्ध आंकड़े तथा रिकार्ड पूरी गोपनीयता तथा जिम्मेदारी के साथ अनुरक्षित हों।
- परियोजना के सभी स्टाफ, भागीदारों तथा हितधारकों के मध्य प्रभावी तथा पेशेवर संबंधों को बनाए रखना।
- परियोजना के अभिशासन ढांचे के अनुसार प्रमुख हितधारकों के साथ नियमित रूप से समन्वय बैठकों का आयोजन करना।
- प्रबंधन द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अतिरिक्त कार्य का निष्पादन करना।

**समय-सीमा :**

क्रम सं.		तारीख
1.	पोर्टल खुलना	2 अप्रैल, 2022
2.	पोर्टल बंद होना	30 अप्रैल, 2022
3.	एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन लिखित परीक्षा (250 उम्मीदवारों का चयन)	19 मई, 2022

4.	साक्षात्कार संचालन	20 जून, 2022 से पहले
5.	नए बैच का शामिल होना (24 चयनित उम्मीदवार)	1 जुलाई, 2022 और उसके बाद (10) दिन का अभिविन्यास प्रशिक्षण

आवेदन करने के लिए, कृपया इस लिंक पर क्लिक करें: [http://dbtmis-  
msje.gov.in/pmu\\_dosje](http://dbtmis-msje.gov.in/pmu_dosje)

\*\*\*\*\*